न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 1065 / 2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कालुराम पुत्र गणेशराम जाति सीरवी निवासी बागावास, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)	1.	चोलाराम पुत्र भोमाराम
	2.	बख्ताराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली।
	3	डगराराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी बागावास हाल सण्डारडा के कायम मुकाम
	3/1	भंवरलाल पुत्र डगराराम
	3/2	सुमित्रा पुत्री डगराराम जातियान जाट निवासीगण सण्डारडा तहसील सोजत, जिला पाली।
	4	इन्द्रादेवी पत्नी सुरेश जी पंवार जाति घांची निवासी पावटी का बास, सोजतसिटी
	5.	तारादेवी पत्नी बुद्धाराम जाति घांची निवासीगण पावटी का बास सोजत सिटी तहसील सोजत सिटी
	6.	तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. **श्री सोहनलाल गौराणा, अधिवक्ता वादी उपस्थित।**
2. **प्रतिवादी तहसीलदार सोजत**

–: निर्णय :– **दिनांक – 17.01.2022**

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बागावास तहसील सोजत में स्थित खसरा नंबर 275 रकबा 2.2700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त सुदा भूमि वाके स्थित है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 चोलाराम का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 2 बख्ताराम का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 4/21 हिस्सा तथा वादी का 3/21 खातेदारी जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में बतौर खातेदार काश्तकार के इन्द्राज है। प्रतिवादी संख्या 3 डगराराम ने अपना 4/21 हिस्से में से 20/147 वां हिस्सा इन्द्रादेवी पत्नि सुरेश के नाम बेचान कर दिया तथा नामान्तरणकरण संख्या 1579 दिनांक 20.12.2014 स्वीकृत बेचान से डगराराम पुत्र भोमाराम जाट 4/21 के स्थान पर डगराराम 20/147 पुत्र भोमाराम जाट तथा इन्द्रा पत्नी सुरेश कौम घांची निवासी सोजत 8/147 दर्ज किया गया तथा नामान्तरणकरण संख्या 1769 आदेश के अनुसार वादी

उपखण्ड अधिकारी सोजत

कालूराम का 3/21 हिस्सा दर्ज किया गया। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अपने अपने हिस्सेनुसार उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमि पर मौखिक बंटवाडा अनुसार काबिज काश्त है। वादी ने अपने 3/21 हिस्से में तारबंदी करवाई एवं ट्यूबवेल खुदवाया। इस प्रकार वादी का अपने 3/21 हिस्से पर शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक एवं बाधा के उक्त आराजीयात की कृषि भूमि पर काबिज है। राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर बराबर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन नही होने से प्रतिवादीगण समय बेसमय वादी के हक हिस्से में दखलअंदाजी करते है। जबकि वादी ने प्रतिवादीगण की सहमति से तथा उनकी उपस्थिति में उक्त भूमि का माप चौक कर अपने 3/21 हिस्से में तारबंदी की व ट्यूबवेल खुदवाई। वादी ने दिनांक 20.05.2017 को उक्त खसरा नंबर 275 का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन करवाकर बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रेकर्ड ट्रेस नक्शा में इन्द्राज करवाने हेतु प्रतिवादीगण को निवेदन किया। तब प्रतिवादीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन करवाकर राजस्व रेकर्ड ट्रेस नक्शा मे इन्द्राज करवाने में आना कानी करवाने लगे। तब वादी ने दिनांक 20.05.2017 को उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी की नकल व ट्रेस नक्शा प्राप्त किया तथा वादी को उक्त वाद पेश करना लाजमी हो गया। प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार (भूमि धारक) होने से आवश्यक पक्षकार है। बिनायदावा दिनांक 20.05.2017 को वादी द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर 275 बागावास का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन करवाने से मना करने से तथा दिनांक 26.05.2017 को नकल प्राप्त करने से उत्पन्न हुआ, जो अंदर म्याद पेश किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा बागावास तहसील सोजत में स्थित होने से यह वाद श्रीमान की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद बाबत बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने अर्थात डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस अमर की सादिर किये जाने की कि सरहद मौजा बागावास तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 275 रकबा 2.2700 हैक्टर किस्म बा0अ0 की भूमि में वादी का 3/21वा हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाकर राजस्व रेकर्ड एवं ट्रेस नक्शा में इन्द्राज किये जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिवादीगण की उक्त हिस्से की उक्त भूमि में वादी के 3/21 वे हिस्से मे की गई तारबंदी एवं ट्यूबवेल तथा वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखल अंदाजी करे और न ही अपने नौकर से किये जाने हेतु पाबन्द किये जाने की ईशतदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3/1, 4 व 5 को तामिली सूचना बावजूद बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर अनुपस्थित रहने से दिनांक 20.01.2021 इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 3/2 को जारी सम्मन जरिये रजि0एडी0 की डाक विभाग की रसीद सम्मन पर चस्पा सुदा उपलब्ध है। किन्तु डाक विभाग से न तो प्राप्ति रसीद प्राप्त हुई है न ही डाक विभाग से मूल लिफाफा पुनः लौटकर प्राप्त हुआ है। जिससे प्रतिवादी संख्या 3/2 को सम्मनस

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

प्रावधानानुरूप तामिल माना जाता है। बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 21.09.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही कीगई। वादस्थ उक्त भूमि उभय पक्षों की संयुक्त एवं सामलाती भूमि होने से माफिक राजस्व रेकर्ड प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर सरहद मौजा बागावास के खसरा नम्बर 275 रकबा 2.2700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवाकर खाता व लगान अलग–अलग किये जाने तथा मौके पर नाप–चौप करके नेखम बन्दी एवं पत्थरगढ़ी करवाई जाकर विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा बनाया जाकर पालना भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को अधिकृत किया करके तहरीर मय प्राथमिक डिक्री भेजी जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/1124 दिनांक 02.10.2021 द्वारा लिखा जाकर अनुपालना चाही गई।

तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2021/3745 दिनांक 24.09.2021 को प्राथमिक डिक्री मय विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा राज0 काश्त0 अधि0 1955 के नियम 18 से 21 की पालना अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया, सा0मि0 है। माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता मय वादी एवं तहसीलदार, सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। प्राथमिक डिक्री मय विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित किया गया, का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बागावास के खसरा नम्बर 275 रकबा 2.2700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	कालूराम पुत्र गणेशराम जाट सा. देह खातेदार	275/2	0.2817	बा.अ.	1.68
2.	इन्द्रा देवी पत्नी सुरेश घांची पंवार सा. पावटी का बास सोजत सिटी खातेदार	275/3	0.0537	बा.अ.	0.33
3	तारादेवी पत्नी बुदाराम घांची पंवार सा. पावटी का बास सोजत सिटी खातेदार	275/4	0.0537	बा.अ.	0.33
4	चौलाराम पुत्र भोमाराम 6573/19720 बगताराम पुत्र भोमाराम 6573/19720 भंवरलाल पुत्र डगराराम 1341/19720 सुमित्रा पुत्री डगराराम 1342/19720 जातियान जाट सा0 देह खातेदार	275	1.5829	बा.अ.	9.49
	कुल योग	04	1.972	बा0अ0	11.83

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। उक्त निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अन्तिम डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण:

1. कालूराम पुत्र गणेशराम जाति सीरवी निवासी बागावास, तहसील सोजत जिला पाली।

प्रतिवादीगण:

1. चोलाराम पुत्र भोमाराम
2. बख्ताराम पुत्र भोमाराम जातिगण जाट नि0 बागावास
3. डगराराम पुत्र भोमाराम के का0 मु0ः–

3/1. भवरलाल पुत्र डगराराम

3/2. सुमित्रा पत्नि डगराराम जातियान जाट नि0 बागावास हाल नि0 सण्डारडा तह0 सोजत जिला पाली।

4. इन्द्रा देवी पत्नि सुरेश पंवार जाति घांची नि0 पावटी बास तह0 सोजत जिला पाली।
5. तारादेवी पत्नी बुद्धाराम जाति घांची निवासीगण पावटी का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत

5. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 1065/2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री सोहनलाल गौराणा पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बागावास के खसरा नम्बर 275 रकबा 2.2700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि का विभाजन प्रस्ताव/बंटवाडा मय नजरी नक्शा के आधार पर खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	कालूराम पुत्र गणेशराम जाट सा. देह खातेदार	275/2	0.2817	बा.अ.	1.68
2.	इन्द्रा देवी पत्नी सुरेश घांची पंवार सा. पावटी का बास सोजत सिटी खातेदार	275/3	0.0537	बा.अ.	0.33
3	तारादेवी पत्नी बुदाराम घांची पंवार सा. पावटी का बास सोजत सिटी खातेदार	275/4	0.0537	बा.अ.	0.33
4	चौलाराम पुत्र भोमाराम 6573/19720 बगताराम पुत्र भोमाराम 6573/19720 भंवरलाल पुत्र डगराराम 1341/19720 सुमित्रा पुत्री डगराराम 1342/19720 जातियान जाट सा0 देह खातेदार	275	1.5829	बा.अ.	9.49
	कुल योग	04	1.972	बा0अ0	11.83

तहसीलदार, सोजत उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। इस निर्णय एवं डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17.01.2022 को जारी की गई।

(गोपाल परिगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			